न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0–105 /2014

सरकार (माफत पुलिस अधीक्षक,सारण छपरा)

बनाम

डॉ कुमार विनय, पे0–स्व0 सत्यव्रत सिंह उर्फ बेचु सिंह, सा0–भुईली, थाना–एकमा, जिला–सारण

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
09.12.2014	यह अभिलेख जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा के पत्रांक 430, दिनांक 15.07.2014 के द्वारा सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2152/गो0, दिनांक 24.05.2014 के द्वारा आवेदक डॉ कुमार विनय, पे0–स्व0 सत्यव्रत सिंह उर्फ बेचु सिंह, सा0–भुईली, थाना–एकमा, जिला–सारण से संबंधित अभिलेख जॉचोपरांत पुलिस प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे एक चिकित्सक हैं। रोगियों की इलाज हेतु उन्हे रात्रि में अक्सर अकेले बाहर जाना पड़ता हैं। अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के परिसीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित नही किया गया है और न ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के कम में कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया है। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निर्देश है कि वे पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग करे एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अभिलेख प्रेषित किया जाए। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा। (हस्ताक्षर) जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा। ज्ञापांक 1046 दिनांक 12/12/14 प्रतिलिपि– S.P. सारण / जिला शस्त्र शाखा, सारण / DSO, NSC सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (हस्ताक्षर) वरीय उप समाहर्ता जिला विधि शाखा, सारण। 12/12/14	